(617)

राजस्थान सरकार
स्वायत शासन विभाग,राजस्थान जयपुर

क्रमांकःप.8(ग)(मोबा)नियम/डीएलबी/12/351 – 535 दिनांकः 31.08.12

समस्त मुख्य नगर पालिक अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिकाएं,
.....राजस्थान

विषय :– मोबाईल टॉवरों के संबंध में उपविधि बनाए जाने के संबंध में ।

———

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मोबाईल टॉवर /पोल एन्टीना के संबन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी नवीन दिशा निर्देश एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप मॉडल उपविधि का प्रारूप संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि इन्हें मण्डल से विधिवत पारित करवाकर शीघ्र प्रभावशील किया जावें।

जिन नगर निकायों में पूर्व में उपविधि बनाई जा चुकी है उसे संलग्न मॉडल उपविधि अनुसार संशोधित करें अथवा निरसित (Repeal) कर नवीन उपविधि शीघ्र प्रभावशील की जावें। जब तक उक्तानुसार मॉण्डल उपविधि अंगीकार नहीं की जाती तब तक उक्त मॉडल उपविधि ही नीतिगत मानी जाकर प्रभावशील की जावें।

यह जनहित से जुडा हुआ प्रकरण है अतः इसे प्राथमिकता दी जावें और पालना रिपोर्ट प्रेषित की जावे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

शासन उप सचिव

क्रमांकःप.8(ग)(मोबा)नियम/डीएलबी/12/536 – 541 दिनांकः 31.08.12

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

01. उप निदेशक (क्षेत्रीय),स्थानीय निकाय, समस्त राजस्थान ।

सहायक विधि परामर्शी

(311)

(24

नगर निगम/परिषद/पालिका..... (2-G व 3-G टेक्नोलोजी के मोबाईल टॉवर/पोल एन्टीना) उप विधि ,2012

क्रमांक

दिनांक

2-G व 3-G टेक्नोलोजी के टावर/पोल एन्टीना नगर पालिका क्षेत्र में स्थापित किये जाने के संबंध में व्याप्त जन सुरक्षा व सुविधा, भवनों की सुरक्षा, नेटवर्क की कनेक्टीविटी, शहर का हेरिटेज स्वरूप की रक्षा, अप्रत्याशित दुर्घटनाओं से बचाव के कार्य एवं बेहतर नगरीय सेवा के लिए जनहित में राजसथान नगर पालिका अधिनियम 2009 (अधिनिगम संख्या 18 वर्ष 2009) की धारा 340 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम/परिषद/पालिका..... एतद् निम्न उप विधि बनाती है:-

1. नाम एवं प्रभावशीलता- (1) यह उप विधि नगर निगम/परिषद/पालिका..... (2-G व 3-G टेक्नोलोजी के मोबाईल टॉवर/पोल एन्टीना) उप विधि ,2012 कहलायेगी।

   (2) यह उपविधियॉ तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगी।

2. परिभाषाएँ - (1) "निदेशक " निदेशक से अभिप्राय राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 (अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2009)के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त निदेशक स्थानीय निकाय से है ।

   (2) 'नगर निकाय" से अभिप्राय संबंधित नगर निगम/परिषद/पालिका से है।

   (3) "पोल एन्टीना" से अभिप्राय ऐसे छोटे एन्टीनाओं से है जो मोबाइल से संबंधित रेडिएशन के आपसी समन्वय में भवनों पर लगाये जाकर प्रयुक्त होते हैं तथा उन्हें सामान्य भाषा में पोल एन्टीना के रूप में जाना जाता है ।

   (4) "मोबाइल टावर" से अभिप्राय 2-G व 3-G टैक्नोलोजी के भूमि अथवा भवन पर स्थापित किये जाने वाले टावरों से है जो मोबाइल रेडिएशन के समन्वय में प्रयुक्त किये जाते हैं ।

3. सेल्यूलर फोन्स एवं अन्य समस्त प्रकार के प्रसारण के लिए भवनो की छतों व खुले प्रसारण टावर/पोल एन्टीना लगाये जाने हेतु आवेदन- (1) सेल्यूलर एवं अन्य समस्त प्रकार के प्रसारण के लिए भूमि अथवा भवन पर प्रसारण टावर/पोल एन्टीना लगाने बाबत् संबंधित मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर, नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका को आवेदन करना होगा। टावर/पोल एन्टीना स्थापना हेतु प्रस्तावित क्षेत्र को चाहे किसी विकास प्राधिकरण, आवासन मण्डल एवं नगर विकास न्यास अथवा किसी भी बोर्ड/संस्था द्वारा विकसित किया गया हो तथा सम्बन्धित स्थानीय निकाय को

हस्तान्तरित नहीं किया गया हो, तब भी सम्बन्धित नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका मे आवेदन करना होगा।

(2) आवेदन के साथ टॉवर स्थापना हेतु संबंधित कम्पनियों द्वारा दूरसंचार विभाग द्वारा जारी सर्विस लाईसेन्स/आई.पी. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, एस.ए.सी.एफ.ए. (डब्ल्यू पीसी शाखा दूर संचार विभाग) द्वारा टावर के स्थान हेतु क्लीयरेंस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। अन्य अनापत्तियॉ यथा डी.जी. सेट एवं फायर सेफ्टी व राज्य के पर्यावरण एवं वन विभाग की सहमति यदि आवश्यक हो तो वह भी प्रस्तुत करनी होगी। आवदेन के साथ ही भवन स्वामी की अनापत्ति तथा निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

(3) बी.टी.एस. टॉवर के संबंध में सेवा/ईन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदाता का नाम, स्थान, टॉवर की उँचाई, वजन, भूतल/छत पर लगाये जाने की स्थिति की जानकारी एवं ऐन्टीनाओं की संख्या की जानकारी देनी होगी। भूमि/ छत पर टॉवर लगाये जाने हेतु स्ट्रक्चरल स्टेबिलीटी प्रमाण पत्र तथा छत पर टॉवर लगाने हेतु सरकार/स्थानीय निकाय के अधिकृत चारट्रेड /सूचीबद्ध स्ट्रक्चरल ईन्जिनियर, सेन्ट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्सटीटूयट, रुडकी अथवा आईआईटी, एनआईटी, रेल इण्डिया टेक्नीकल एण्ड इकोनोमिकल सर्विसेज देहली (RITES), नेशनल कॉन्सिल फॉर बिल्डिंग मैटेरियल फरीदाबाद, एस.एन आई.टी. जयपुर, बिट्स पिलानी, अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बीएसएनएल के सक्षम अभियन्ता इत्यादि प्रतिष्ठित ईन्जिनियरिंग कॉलेज की लिखित सहमति पर ही लगायें जा सकेगें।

(4) छत पर मल्टीपल एन्टिना लगाये जाने पर अन्य कार्यो के लिए छत का उपयोग प्रतिबंधित होगा। भूमि अथवा छत पर टॉवर लगाये जाने वाले टावरों के निचले एन्टीना से भवनों की निम्नानुसार दूरी रखी जायेगी :–

क्रम	टॉवर पर एन्टिना की संख्या	भवनों की टॉवर से दूरी (मीटर)
1	2	35
2	4	45
3	6	55
4	8	65
5	10	70
6	12	75

(5) टॉवर हेतु न्यूनतम 20 X 20 फिट लम्बाई चौडाई का 900 वर्ग फिट का भूखण्ड होना आवश्यक है तथा सड़क की चौडाई 30 फिट आवश्यक की गई है।

4. अनुज्ञा पत्र की अवधि– अनुज्ञा पत्र पांच वर्ष की अवधि के लिए ही जारी किया जा सकेगा तथा इस अवधि पश्चात् नवीनीकरण कराया जाना आवश्यक होगा । नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका को अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।
5. सरकारी एवं गैरसरकारी संस्था की अनुमति– प्रस्तावित टावर/पोल एन्टीना के निर्माण संबंधी किसी भी सरकारी एवं गैरसरकारी संस्था की अनुमति की आवश्यकता हो तो वह अनुज्ञाधारी अपने स्तर से प्राप्त करेगा।
6. टावर/पोल एन्टीना लगाने हेतु स्ट्रक्चर– टावर/पोल एन्टीना से संबंधित सम्पूर्ण स्ट्रक्चर अस्थाई होगा, लेकिन ढ़ाचागत सुरक्षा टावर/पोल एन्टीना की सेवा प्रदाता कम्पनी को सुनिश्चित करनी होगी।
7. तडित चालक इत्यादि का प्रावधान– अनुज्ञाधारी द्वारा आकाश में उत्पन्न बिजली की सुरक्षा हेतु तडित चालक का प्रावधान किया जाना आवश्यक होगा।
8. भारत सरकार द्वारा निर्धारित रेडिएशन एवं अन्य मापदण्डों की पालना एवं नगर निकाय को जांच का अधिकार– भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित रेडिएशन की मात्रा एवं अन्य समस्त मापदण्डों के अनुसार रेडिएशन के मापदण्ड सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा। टावरों के रेडिएशन की जांच सेवा प्रदाता कम्पनी के खर्चे पर कराये जाने का नगर निकाय को अधिकार होगा। नगर निकाय को मोबाइल टावर /पोल एन्टीना के सबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर जांच कर कार्यवाही करने का अधिकार होगा। शिकायतों का टावर कम्पनियों द्वारा समाधान किया जायेगा तथा नगरनिकाय द्वारा TERM दूरसंचार विभाग को भी शिकायतों से अवगत कराया जायेगा।
9. भवन एवं नागरिकों की सुरक्षा– अनुज्ञाधारी द्वारा भवन व आम नागरिकों की जान–माल की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखना होगा। जिन भवनों पर मोबाईल टॉवर लगाने हों, उनकी संरचना एवं स्टील के कालम बेस तथा तकनीकी दृष्टि में भूकम्परोधी एवं तेज गति से आने वाले तूफानों को सहन करने की क्षमता वाले हो। टॉवर से किसी प्रकार की क्षति बाबत सेवा प्रदाता कम्पनी की जिम्मेदारी रखी गयी है। टॉवरों बाबत शिकायतों के समाधान की जिम्मेदारी टॉवर कम्पनियों की होगी।
10. अधिसूचित पुरातत्व एवं हैरिटेज भवनों/सम्पत्ति पर प्रतिबंध– . अधिसूचित पुरातत्व व हेरिटेज सम्पत्तियों से 100 मीटर की दूरी पर टॉवर लगाया जाना प्रतिबंधित होगा।
11. बिना स्वीकृति टॉवर/पोल लगाया जाना प्रतिबन्धित– स्थानीय निकाय से बिना स्वीकृति निर्माण किये गये टावर/पोल एन्टीना लगाया जाना अनुमत नहीं होगा ।

12. टावर/पोल एन्टीना सहभागी आधार पर लगाने की अनुमति– एक टावर/पोल एन्टीना पर शेयरिंग बेसिस पर मूल अनुज्ञाधारी की सहमति से अतिरिक्त एन्टीना लगाने हेतु स्वीकृति दी जा सकेगी, यदि वह इस संबंध में प्रावधित सभी दिशा निर्देशो को पूरा करते है तथा इन्हें लगाये जाने की स्थिति में एकल एन्टीना के रेडिएशन के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों से अधिक मल्टीपल एन्टीना लगने पर रेडिएशन की मात्रा नहीं होगी एवं इसे सुनिश्चित किया जाना होगा।

13. **टॉवर हेतु पंजीयन व मासिक शुल्क**– नगर निगम/ परिषद हेतु रुपये 30000 व पालिका हेतु रुपये 20000 पंजीयन शुल्क एवं प्रति वर्ष प्रति टॉवर रुपये 10000 प्रावधित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर पंजीयन शुल्क एवं वार्षिक शुल्क अतिरिक्त टावर एन्टीना बाबत शुल्क परिवर्तित किया जा सकेगा जो नगर निकायों द्वारा वसूलनीय होगा।

14. **पोल एन्टीना के संबंध में शुल्क** – राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्देशित पोल एन्टीना के संबंध में पंजीयन शुल्क एवं अन्य शुल्क वसूलनीय होगा।

15. **मोबाइल टावर/पोल एन्टीना की अनुज्ञा नवीनीकरण** – मोबाइल टावर/पोल एन्टीना की अनुज्ञा नवीनीकरण के संबंध में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क वसूलनीय होगा।

16. **नगर निकाय का भवन/भूमि पर कर बकाया होने पर मोबाइल टावर कम्पनी से वसूली** – भवन/भूमि पर नगर निकाय का कर बकाया होने पर मोबाइल टावर/पोल एन्टीना हेतु नगर निकाय द्वारा अनुज्ञा पत्र जारी किया जाना नहीं रोका जाये। नगरीय निकाय द्वारा ऐसे भवन/भूखण्ड पर बकाया कर की राशि के संबंध में टावर कम्पनी एवं भवन भूखण्ड स्वामी को अवगत करवाते हुए मोबाइल टावर/पोल एन्टीना कम्पनी द्वारा भवन व भूखण्ड पर बकाया कर की राशि अदायगी उनके द्वारा करने हेतु अण्डरटेकिंग आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा एवं टावर कम्पनी से बकाया राशि वसूल की जावेगी।

17. **राजकीय विभागों से शुल्क वसूलनीय नहीं होगा**– पुलिस, सुरक्षाबल एवं सरकारी विभाग द्वारा स्थापित टावर/पोल एन्टीना के संबंध में कोई शुल्क वसूलनीय नहीं होगा।

18. **टावर/पोल एन्टीना को हटाने के आदेश पर इन्हें हटाया जाना आवश्यक होगा**– नगर निकाय/राज्य सरकार द्वारा टावर/पोल एन्टीना को हटाने हेतु आदेश दिये जाने पर कम्पनी को तुरन्त टावर/पोल एन्टीना हटाना होगा। यदि टावर/पोल एन्टीना नहीं हटाया जाता है तो नगर निकाय/संस्था द्वारा अपने स्तर से उक्त टावर/पोल एन्टीना को हटा कर जब्त कर लिया जायेगा तथा उक्त कार्यवाही पर होने वाले व्यय की राशि अनुज्ञाधारी/सम्बन्धित व्यक्ति की वसूलनीय होगी।

19. **टावर/पोल एन्टीना की जब्ती**– नगरीय निकायों को टॉवर/ पोल एन्टिना हटाने एवं जब्त करने का अधिकार होगा। नगरीय निकाय द्वारा की गई उक्त कार्यवाही की अपील परिषद व पालिका के प्रकरणों में तीस दिवस की अवधि में

संबंधित उपनिदेशक क्षेत्रीय एवं नगर निगम के संबंध में निदेशक स्थानीय निकाय के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी।

20. मोबाइल टावर की अनुज्ञा/नवीनीकरण अस्वीकृत/ निरस्त किये जाने विरूद्ध अपील – नगर निगम के प्रकरणों में निदेशक स्थानीय निकाय के यहॉ 30 दिवस में अपील किया जाना प्रावधित किया जाये तथा नगर परिषद व पालिकाओं के प्रकरणों में संबंधित क्षेत्रीय उपनिदेशक के यहॉ 30 दिवस में अपील की जा सकेगी।

21. वर्तमान में स्थापित मोबाइल टावर/पोल एन्टीना के संबंध में – वर्जिज क्षेत्र के अतिरिक्त पूर्व में स्थापित मोबाइल टावर/पोल एन्टीना को यथावत रखा जाये लेकिन जहॉ जहॉ शिकायत / विरोध होगा उसकी टेस्टिंग कराने के पश्चात प्रकरण अनुसार गुण दोष पर निस्तारण किया जायेगा।

22. टावर/पोल एन्टीना हटाने/जब्ती का निदेशक को अधिकार – राज्य की समस्त नगर निकायों में स्थापित मोबाइल टावर/पोल एन्टीना को हटाने /जब्त करने का अधिकार निदेशक स्थानीय निकाय को भी समानान्तर होगा। निदेशक द्वारा उपयुक्त लिखित आधार पर ऐसे टावरों/पोल एन्टीना को हटाया जा सकेगा।

23. जब्त/ हटाये गये मोबाइल/पोल एन्टीना की सूचना दूर संचार विभाग को दिये जाने बाबत् – नगर निकाय क्षेत्र में जब्त /हटाये गये मोबाइल टावर/पोल एन्टीना की जानकारी TERM दूर संचार विभाग को दिया जाना आवश्यक होगा।

24. टावर/पोल एन्टीना एवं भवन इत्यादि से नुकसान पर हर्जा के संबंध में– टावर/पोल एन्टीना एवं भवन इत्यादि से उत्पन्न नुकसान के सम्बन्ध में प्रत्येक प्रकार के हर्जे, नुकसान इत्यादि के लिए स्वयं अनुज्ञादारी जिम्मेदार होगा तथा राज्य सरकार अथवा नगर निकायों/संस्थाओ की किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस संबंध में संबंधित सेवाप्रदाता से अनुज्ञा हेतु आवेदन/नवीनीकरण के साथ विधिवत निष्पादित अन्डरटेकिंग संलग्न करनी होगी।

25. शिक्षण संस्थाओं (विद्यालय/कॉलेज) खेल के मैदान एवं चिकित्सालय पर मोबाइल टावर प्रतिबंधित – नगर निकाय क्षेत्र में शिक्षण संस्थाओं (विद्यालय/कॉलेज) खेल के मैदान एवं चिकित्सालय पर मोबाइल टावर लगाया जाना प्रतिबंधित होगा।

26. जेल परिसर से 500 मीटर तक टावर लगाया जाना प्रतिबंधित – नगर निकाय क्षेत्र में जेल परिसर से 500 मीटर तक की दूरी में मोबाइल टावर लगाया जाना प्रतिबंधित होगा तथा वर्तमान में विद्यमान टावरों को 6 माह में हटाया जाना आवश्यक होगा।

27. छत पर अन्य उपयोग वर्जित – भवनों की छत पर मोबाईल एन्टीना स्थापित किये जाने पर ऐसी छत का अन्य उपयोग प्रतिबंधित होगा।

28. मोबाइल टावर हेतु विद्युत कनेक्शन – विद्युत सेवाप्रदाता कम्पनियों द्वारा मोबाइल टावर हेतु संबंधित कम्पनियों को टावर संचालन के लिए विद्युत कनेक्शन प्राथमिकता पर दिया जायेगा।

29. टावर/पोल एन्टीना का सर्वेक्षण– सभी नगर निकाय अपने क्षेत्र में स्थापित टावर/पोल एन्टीना का सर्वेक्षण इस आदेश के जारी होने के पन्द्रह दिवस के अन्दर अन्दर करना सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु संस्था द्वारा एक रिकार्ड रजिस्टर संधारित किया जायेगा।

30. राज्य एवं जिला स्तरीय टेलीकॉम कमेटी का गठन – दूर संचार विभाग के TERM शाखा एवं राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय स्थानीय प्रशासन की एक कमेटी राज्य सरकार द्वारा मोबाइल टावरों की स्थापना आपसी समन्वय एवं रिव्यू किये जाने हेतु गठित की जा सकेगी।